रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72　　　　　　　　　　　　　　　　REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78　　नई दिल्ली, शनिवार, मई 3, 1980 वैसाख 13, 1902
No. 78　　NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 1980 VAISAKHA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. : 15-आई टी सी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 3 मई, 1980

विषय : कच्चे काजू के सम्बन्ध में आयात और वितरण नीति—आयात-नीति 1980-81

फा. सं. आई पी सी/65/13/79-80.—आयात-निर्यात क्रिया-विधि हैंड-बुक 1980-81 के अध्याय 6 की कंडिका 147 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. कच्चे काजुओं के सम्बन्ध में यह विनिश्चय किया गया है कि आयातित कच्चे काजुओं की उपलब्ध मात्रा का वितरण सारणीबद्ध अभिकरण द्वारा अर्थात् भारतीय काजू निगम लि. (जिसे इसके बाद "निगम" कहा जाएगा) नीचे संकेतित आधार पर और तरीके से पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को किया जाएगा :—

(1) पात्र वास्तविक उपयोक्ता वे संसाधक हैं जिन्होंने काजुओं के आयात-निर्यात व्यापार में भाग लिया था और जिन्होंने 1968-1969 किसी भी कलैण्डर वर्ष में और 31 अगस्त, 1970 तक काजू संसाधित करने की फैक्ट्री चला रखी थी ।

(2) यदि सारणीबद्ध करने की तिथि से लगातार दो वर्षों की अवधि तक एक पात्र वास्तविक उपयोक्ता ने व्यवसाय न किया हो तो वह आयातित कच्चे काजू के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) आबंटन उन कारखानों को किए जाएंगे जो संसाधकों (वास्तविक उपयोक्ताओं) ने निगम में दाखिल किए गए प्रपत्र में घोषित किए हैं और/या वे सरणीबद्ध करने की तिथि के बाद उनके द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं ।

(4) जो कारखाना कारीगरों की सुरक्षा, सर्विस की शर्तों या निर्धारण और मजदूरी के भुगतान से संबंधित कानून के उपबंधों के अनुकूल नहीं होगा वह निगम से कच्चे काजू-गिरी के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) प्रत्येक कारखाने को आबंटन कारखाने द्वारा रखे गए मस्टर रोल से सुनिश्चित और निगम द्वारा सत्यापित मजदूरों की संख्या के आधार पर निगम द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

(6) यदि कारीगरों की संख्या कम हो जाएगी तो कारखानों से प्राप्त विवरण के आधार पर और अपने द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर निगम को यह अधिकार होगा कि वह प्रारम्भिक आबंटन को पुनः निर्धारित करे । जिन कारखानों के मस्टर रोल का, निगम उनके निरीक्षण के दौरान सत्यापन न कर सका हो, या जिस मामले में निगम ने किसी कारखाने की हकदारी की पुनरीक्षा करना आवश्यक समझा हो उसके संबंध में निगम

इस मद के आयात को सरणीबद्ध करने के समय प्रपत्र में दिए गए निम्नतम आंकड़े के आधार पर निश्चित की गई कारीगरी की संख्या के आधार पर या यदि आवश्यक हो तो समर्थक साक्ष्य के साथ 1971 में दाखिल की गई आंकड़ा शीट के आधार पर आबंटन करेगा ।

(7) कारपोरेशन द्वारा आबंटित कच्ची काजूगिरियां उसी कारखाने में संसाधित की जाएंगी जिनके संबंध में निगम द्वारा जारी किए गए आबंटन पत्र में आबंटन किया गया है और किसी अन्य कारखाने को खंडों में या पूर्ण रूप में हस्तान्तरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(8) 1 सितम्बर, 1970 के बाद लगातार दो वर्षों या इससे अधिक अवधि के लिए बंद रहने वाला कारखाना कच्ची काजू-गिरियों के आबंटन के लिए पात्र नही होगा ।

(9) नियतन इस शर्त के अधीन होगा कि आबंटित कच्ची काजूगिरियों की पैदावार के अनुसार 125% के बराबर काजू की गिरियां निर्यात की जाएगी और उसका प्रमाण निगम को भेजा जाएगा ।

(10) कच्चे काजू के आबंटन के लिए विशेष क्रियाविधि को ध्यान मे रखते हुए 1980-81 के लिए आयात-नीति की कंडिका 44 (2) मे निहित सुविधाएं लागू नही होंगी ।

(11) इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाएं वाणिज्य विभाग द्वारा बनाई गई विशेष समिति के अधीन विनिर्माता निर्यातकों के लिए भारतीय काजू निगम लि. द्वारा किए जाने वाले कच्चे काजू के किसी भी आबंटन के लिए भी लागू नही होंगी ।

3. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन भारत में संसाधन और पुन: निर्यात के प्रयोजन के लिए गुण-दोष के आधार पर कच्चे काजू के सीधे आयातों के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर सकता है ।

4. उपर्युक्त व्यवस्थाएं 15 अप्रैल, 1980 से लागू होंगी ।

सी. वेंकटरामन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 15 -ITC(PN)/80

New Delhi, the 3rd May, 1980

Subject: Import and distribution policy in respect of Raw Cashewnuts- Import policy, 1980-81.

F. No. IPC/65/13/79-80.—Attention is invited to para 147 of Chapter VI of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1980-81.

2. In respect of Raw Cashewnuts, it has been decided that the available quantity of imported raw cashewnuts will be distributed by the canalising agency viz: the Cashew Corporation of India Limited (hereinafter referred to as "Corporation") to the eligible Actual Users on the basis and in the manner indicated below:—

(i) The eligible Actual Users are those processors who had participated in the import and export trade of cashewnuts and operated cashew processing factories in any of the calendar year 1968, 1969 and upto 31st August, 1970.

(ii) An eligible Actual User will cease to be eligible for allocation of imported raw cashew if he was not in business for a continuous period of two years from the date of canalisation.

(iii) Allocations will be made to those factories declared by the processors (Actual Users) in the proforma filed with the Corporation and/or accepted by them after the date of canalisation.

(iv) Any factory which does not conform to the provisions of law relating to safety, conditions of service or fixation and payment of wages to the workmen will not be eligible for allotment of raw cashewnuts from the Corporation.

(v) The allocation to each factory shall be determined by the Corporation on the basis of the labour strength ascertained from the Muster Roll maintained by the factory and verified by the Corporation.

(vi) The Corporation shall have the right to refix the initial allocation if the labour strength has come down based on returns from the factories and the verification carried out by the Corporation. With respect to those factories whose Muster Roll could not be verified by the Corporation during the inspection of factories, or where the Corporation considered it necessary to review the entitlement of any factory, the Corporation may make allocation on the basis of the labour strength determined on the basis of the lowest of the figure reported in the proforma at the time of canalisation of import of this item or the data sheet filed in 1971 with Corroborative evidence, if necessary.

(vii) Raw cashewnuts allotted by the Corporation shall be processed in the factory in respect of which allotment has been made in the letter of allotment issued by the Corporation and no transfer either in part or in full to any other factory will be permitted.

(viii) Any factory closed down for a continuous period of two years or more after 1-9-1970 will not be eligible for allotment of raw cashewnuts.

(ix) The allocation shall be subject to the conditions that cashew kernels equivalent of 125 per cent in terms of yield of the raw cashewnuts allotted, shall be exported and proof thereof furnished to the Corporation.

(x) In view of the special procedure for allocations of raw cashewnuts, the facilities mentioned in para 44 (2) of the Import Policy for 1980-81 will not be applicable.

(xi) The provisions of this public notice will not also apply to any allocations of raw cashewnuts that may be made by the Cashew Corporation of India Limited to the manufacturer-exporters undar a special scheme evolved by the Department of Commerce.

3. The Chief Controller of Imports and Exports may also allow direct imports of limited quantities of raw cashewnuts, on merits, for the purpose of processing in India for re-export, subject to such conditions as may be stipulated in each case.

4. The above arrangements will take effect from 15th April, 1980.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.